NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PIONEER (HINDI), Delhi, 18.8.2024
Page No. 2, Size:(8.70)cms X (8.55)cms.

जल संकट पर मानवाधिकार आयोग पहुंचे लोग

गाजियाबाद। गाजियाबाद के कस्बा खोड़ा में पानी की समस्या का मुद्दा अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पहुंच गया है। खो?ा रेजिडेंट एसोसिशन ने 30 जुलाई को आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसका संज्ञान लेते हुए अब आयोग ने 8 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट गाजियाबाद जिला प्रशासन से मांगी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा- %कस्बा खो?ा में पानी की समस्या कई सालों से बनी हुई है। वॉटर लेबल 1200 फुट पर पहुंच चुका है। यहां किसी भी तरह का बोरिंग करने पर रोक है। ऐसे में लोग सबमसर्बिल भी नहीं लगा सकते। यहां के लाखों परिवार आज भी डिब्बाबंद पानी पीते हैं। सरकार आज तक इस इलाके को पाइप लाइन से पानी सप्लाई नहीं दे सकी है। नवंबर-2023 में पाइप लाइन बिछाने के लिए 183 करो? रुपए की डीपीआर बनाई गई, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। फिर 25 जून 2024 को शासन स्तर पर एक कमेटी में पाइप लाइन योजना को हरी झंडी दी गई। लेकिन फाइल आगे नहीं ब? पा रही है।% केआरए अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा- अब इस मुद्दे को लोकसभा में उठवाया जाएगा। इसके लिए कुछ सांसदों से बात की गई है। सांसदों ने हमें सपोर्ट करने का भरोसा दिया है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NCR SAMACHAR, Online, 18.8.2024

Page No. 0, Size:(18.15)cms X (23.81)cms.

NCR Samachar Live

राजेश कुमार/जम्मू कश्मीर: पीएचक्यू में रेंज स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता हुई आयोजित

https://ncrsamacharlive.in/newsdetails/latest_Post/range-level-debate-competition-held-in-phq

संक्षेप

राजेश कुमार/जम्मू कश्मीर: जम्मू-कश्मीर पुलिस के विभिन्न विंगों के बीच रेंज स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन आज पुलिस मुख्यालय श्रीनगर के सभागार में आईजीपी तकनीकी सेवाएं, जम्मू-कश्मीर द्वारा किया गया।

विस्तार

राजेश कुमार/जम्मू कश्मीर: जम्मू-कश्मीर पुलिस के विभिन्न विंगों के बीच रेंज स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन आज पुलिस मुख्यालय श्रीनगर के सभागार में आईजीपी तकनीकी सेवाएं, जम्मू-कश्मीर द्वारा किया गया।

वाद-विवाद प्रतियोगिता का विषय था "आतंकवादी संगठनों और मानव तस्करी गिरोहों, नारकोटिक्स तस्करों आदि सहित संगठित आपराधिक सिंडिकेट द्वारा अपराधों को नियंत्रित किए बिना मानवाधिकार उल्लंघन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है"। प्रतियोगिता में पीएचक्यू जम्मू-कश्मीर, सीआईडी जम्मू-कश्मीर, अपराध शाखा जम्मू-कश्मीर, रेलवे पुलिस जम्मू-कश्मीर, यातायात पुलिस विंग जम्मू-कश्मीर, एसडीआरएफ/एचजी जम्मू-कश्मीर और पुलिस तकनीकी विंग जम्मू-कश्मीर के पंद्रह अधिकारियों ने भाग लिया।

वाद-विवाद के निर्णायक मंडल में श्रीनगर के माननीय प्रिंसिपल एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्री जावेद अहमद, पुलवामा के माननीय प्रिंसिपल एवं जिला सत्र न्यायाधीश श्री नसीर अहमद, कश्मीर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर मुफ्ती मुदासिर फारूकी, कश्मीर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर तस्लीम अहमद वार और कश्मीर विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. मीर जुनैद आलम शामिल थे।

इस अवसर पर बोलते हुए जम्मू-कश्मीर के आईजीपी तकनीकी सेवाएं श्री बी.एस. टूटी ने कम समय में आमंत्रण स्वीकार करने और इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए निर्णायक मंडल के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के निर्देश पर जम्मू-कश्मीर पुलिस पुलिसकर्मियों में मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर रही है और यह एक वार्षिक कार्यक्रम है।

वाद-विवाद प्रतियोगिता जिला और रेंज स्तर के विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाती है और इन चरणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी यूटी स्तर पर भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि विषय का चयन डीजीपी जम्मू-कश्मीर ने स्वयं किया था और कहा कि सभी प्रतिभागियों ने विषय के साथ न्याय किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की सराहना की और प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई दी।

श्रीनगर के माननीय प्रिंसिपल और जिला सत्र न्यायाधीश, श्री जावेद अहमद ने सभा को संबोधित करते हुए आयोजकों को प्रतियोगिता का हिस्सा बनने और वक्ताओं को सुनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि समाज में किसी भी अपराध का पहला जवाब पुलिस को ही देना होता है, इसलिए उसे स्थिति का आकलन करना होता है और पहले न्यायाधीश के रूप में कार्य करना होता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों और वाद-विवाद के विजेताओं को बधाई दी।

अपने स्वागत भाषण में डीपीटी जम्मू-कश्मीर श्री मनोज कुमार पंडित ने निर्णायक मंडल के सदस्यों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने वाद-विवाद प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में जानकारी दी, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक वार्षिक विशेषता है।

आईजीपी तकनीकी सेवाएं, जम्मू-कश्मीर और निर्णायक मंडल के सदस्यों ने विजेताओं और प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए। पीएसआई मधु फकवारिया को प्रथम घोषित किया गया, जिन्हें पांच हजार रुपये और प्रमाण पत्र दिया गया, एसआई (टेली) अभिनंदन सिंह को द्वितीय घोषित किया गया, जिन्हें चार हजार रुपये और प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि इंस्पेक्टर पीरजादा बशीर को प्रतियोगिता में तीसरा स्थान मिला और उन्हें तीन हजार रुपये और प्रमाण पत्र दिया गया। सभी प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

NCR KHABAR, Online, 18.8.2024

Page No. 0, Size:(18.06)cms X (19.62)cms.

NCR Khabar

नोएडा : विवेचना में पुलिस की लापरवाही पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित की शिकायत पर लिया संज्ञान, कमिश्नरेट को उचित कार्यवाही के निर्देश जारी

https://ncrkhabar.co.in/2024/08/national-human-rights-commission-took-cognizance-of-the-victims-complaint-issued-instructions-to-noida-commissionerate-for-appropriate-action/

August 17, 2024

नौएडा के ग्राम सौहरखा निवासी रवि यादव ने पुलिस द्वारा की गयी विवेचना में लापरवाही की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की थी। आरोप है कि रवि यादव की पैत्रक भूमि पर अवैध कब्जा करने की पुलिस से शिकायत की गई थी, परन्तु थाना सैक्टर 113 के तत्कालीन एस. एच. ओ. जितेन्द्र कुमार ने मामले में पीड़ित की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि सौहरखा गांव के ही एक नामचीन भूमाफिया के इशारे पर उल्टे पीड़ित व पीड़ित के परिवार के खिलाफ संगीन धाराओं में फर्जी व झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया।

जानकारी होने पर पीड़ित के द्वारा तत्काल अपना पक्ष उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया और बार-बार लिखित रूप में एस आई पंकज कुमार को बताया गया था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। प्रार्थी कथित घटना के समय अपने निवास सैक्टर-112 पर था जिसके प्रमाण के लिए प्रार्थी के घर के सामने की सीसीटीवी फुटेज की प्रति भी संलग्न की थी परन्तु एस आई पंकज कुमार के द्वारा इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी और पीड़ित व पीड़ित के परिवार को झूठे मुकदमें में आरोपित कर दिया।

अब पीड़ित की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग ने माना कि पीड़ित की शिकायत को पुलिस कमिश्नरेट के संबंधित अधिकारी को उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाना चाहिए। आयोग ने इस मामले में पुलिस कमिश्नरेट के संबंधित अधिकारी को निर्देश भी दिया कि वह शिकायतकर्ता/पीड़ित को जांच में शामिल करते हुए 8 सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करें और मामले में की गई कार्रवाई से पीड़ित को अवगत कराएं।

रवि यादव ने एनसीआर खबर से दावा किया कि उपरोक्त दोनों सरकारी कर्मचारियों ने अपने पद का दुरपयोग कर, अपने कार्यकाल में कई लोगों के खिलाफ ऐसे फर्जी मुकदमे लगाते हुए सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा कराया गया है। उन पीड़ित लोगों से सम्पर्क करके साक्ष्य एकत्रित कर जल्दी ही पुलिस महानिदेशक लखनऊ व पुलिस कमिश्नर के समक्ष प्रेषित करेंगे।

NOW NOIDA, Online, 18.8.2024
Page No. 0, Size:(17.85)cms X (12.41)cms.

Now Noida

किसानों की शिकायत का लिया मानवाधिकार ने संज्ञान, थाना प्रभारी के खिलाफ होगी इस मामले में जांच

https://nownoida.com/top-news/human-rights-took-cognizance-of-farmers-complaint-investigation-will-be-done-against-the-police-station-incharge-in-this-matter/

August 17, 2024

नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सोरखा गांव में पुलिस द्वारा किसानों को परेशान करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद पीड़ित किसान ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है. देश के अन्नदाताओं की गुहार का मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. साथ ही गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट के सीनियर अधिकारियों को जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

किसान की शिकायत का पुलिस ने नहीं लिया था संज्ञान
दरअसल सोरखा गांव के एक किसान की जमीन पर अवैध भूमाफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की थी. जिसकी शिकायत पीड़ित किसान ने पुलिस से शिकायत की. मगर किसान की शिकायत पर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की. उल्टा पुलिस द्वारा किसान को ही प्रताड़ित किया जाने लगा. साथ ही किसान ने तत्कालीन एसएचओ और सब इंस्पेक्टर पर फर्जी मुकदमा लगाने का आरोप भी लगाया है. जिसके बाद पीड़ित ने हारकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से गुहार लगाई. जिसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई के अनुसार अब तत्कालीन सेक्टर 113 थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर की जांच की जाएगी.

FEDERAL BHARAT, Online, 18.8.2024
Page No. 0, Size:(18.92)cms X (15.35)cms.

Federal Bharat

एनआरएससी हुआ सख्त : किसान को फर्जी मुकदमे में फंसाने में सेक्टर 113 के थाना प्रभारी और दरोगा के खिलाफ जांच का आदेश

https://federalbharat.com/nrsc-becomes-strict-and-orders-investigation-against-sector-113-police-station-in-charge-and-inspector-for-implicating-a-farmer-in-a-fake-case/https://federalbharat.com/nrsc-becomes-strict-and-orders-investigation-against-sector-113-police-station-in-charge-and-inspector-for-implicating-a-farmer-in-a-fake-case/

2 mins ago

नोएडा(फेडरल भारत न्यूज) : किसान की शिकायत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट के सीनियर अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। सेक्टर 113 के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक और सब इंस्पेक्टर पर किसान की जमीन पर अवैध कब्जा कराने और उत्पीड़न करने का आरोप है।

भूमामिया के इशारे पर किया था किसान का उत्पीड़न

सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के गांव सोरखा के किसान रवि यादव ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी शिकायत में आरोप लगाया कि 08 नवंबर 2023 को भूमाफिया से मिलकर तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक और सब इंस्पेक्टर ने फर्जी मुकदमा दायर किया और किसान का शारीरिक उत्पीड़न किया। आरोप है कि भूमाफिया ने इसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जब वह शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो उलटा उसी पर मुकदमा दायर कर दिया गया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट की पुलिस कमिश्नर को इस मामले की जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इससे महकमे में खलबली है।